08.02.2023	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। कैवियटकर्ता अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तांओ की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम धुम्बडिया पटवार हल्का व भू.अ.नि. धुम्बडिया तहसील बागोडा के खसरा नबर 1342 एवं खसरा नंबर 1350 व 1351 के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे अपीलांट द्वारा उपखंड अधिकारी बागोडा के समक्ष धारा 128, 129, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो मुकदमा नंबर 88/2021 भोमा बनाम रतनाराम आदि दर्ज किया गया। उक्त मुकदमे के अन्तर्गत बाद सुनवाई सीमाकंन हेतु कमेठी गठित कर पुलिस की मदद से बाद सीमांकन स्थाई सीमा चिन्ह कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कराने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना मे गठित टीम दिनांक 11.11.2022 को मौके पर पहुचकर उपखंड अधिकारी के आदेश से रेस्पोडेन्ट रतनाराम को अवगत करवाया गया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट रतनाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध मे जैर अपील आदेश पारित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उपखंड अधिकारी बागोडा के पूर्व आदेश की जानकारी थी। उसके बावजूद उक्त आदेश के विरूद्ध समक्ष न्यायालय मे अपील प्रस्तुत न कर बाले–बाले जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। उपखंड अधिकारी के पद पर एक ही अधिकारी मौजूद है। उक्त अधिकारी को सीमा चिन्ह स्थापित करने के आदेश का ज्ञान होने के बावजूद अपने न्यायिक अधिकारो का दुरूपयोग कर जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड मे वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 निर्माण कार्य कर कब्जा करने पर उतारू है। अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त बिन्दुओ को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

कैवियटकर्ता अधिवक्ता द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर माठ को लेकर अपीलांट द्वारा जो पूर्व मे मुकदमा प्रस्तुत किया, उक्त आराजीयात पर मौके पर माठ व पुरानी कांटेदार लोहे के तार से तारबंदी वर्तमान मौके पर मौजूद है। वादग्रस्त आराजी के लगते माठ पर रेस्पोडेन्ट के रहवासीय ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित आदेश की आड मे अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपनी रहवासीय ढाणी से बेदखल करने पर आमदा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम धुम्बडिया पटवार हल्का व भू.अ.नि. धुम्बडिया तहसील बागोडा के खसरा नबर 1342 एवं खसरा नंबर 1350 व 1351 के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है। हस्तगत प्रकरण की आदेशिकाओ से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अंतरिम व्यादेश है। वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल प्रार्थना आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अप्रार्थीगण संख्या 02,03,04 के जवाब इंतजार हेतु आगामी पेशी दिनाक 17.01.2023 नियत की गई है। प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल आदेश उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। जिससे वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे उक्त अपील को इस स्तर पर लंबित रखा जाना उचित नहीं समझते है। उक्त अपील को लंबित रखे जाने से मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे विलंब होगा, जो कि न्यायोचित नहीं है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे मुकदमा नंबर 88/2021 भोमा बनाम रतनाराम आदि के अन्तर्गत बाद सुनवाई सीमाकंन हेतु कमेठी गठित कर पुलिस की मदद से बाद सीमांकन स्थाई सीमा चिन्ह कायम कराने का आदेश दिया गया, एवं उसके पश्चात वादग्रस्त आराजी के संबध मे जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिससे पूर्व मे पारित आदेश की पालना किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण मे एक ही न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे रेस्पोडेन्ट रतनाराम द्वारा पूर्व आदेश को छुपाकर जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। जो कि उचित नहीं है। अत प्रकरण मे अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 86/2022 मे पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अपीलांट चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह मे विधिसम्मत आदेश पारित करे। करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली